निर्वाचन परिपत्र कं. – 2

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ 1—14 / 2022 / 18—3 प्रति. भोपाल, दिनांक - २० मई, 2022

कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश ।

विषय : नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दृष्टिगत वार्डों का आरक्षण।

संदर्भ : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) कं. 278 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 एवं 18.05.2022 के संबंध में।

---00---

विषयान्तर्गत आपके जिले की विभिन्न नगरीय निकायों के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत विगत समय मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

दृष्टिगत विगत समय मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जिप पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी (परिशिष्ट—1) अर्थात जिला कलेक्टर के द्वारा आरक्षण किया जाकर उक्त नियम, 1994 के नियम 7(2) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 11 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (क) के अनुसार ऐसे नगरीय निकाय जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित है वहां यथा संभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जायेंगे तथा ऐसे आरक्षण के लिए चकानुकम की रीति की व्यवस्था है।

2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश के अनुकम में शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों का निर्वाचन घोषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि संलग्न सूची (परिशिष्ट–2) अनुसार 322 निकायों के कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, इनमें से एक – नगर परिषद, नरवर के चुनाव हो जाने से 321 निकायों के चुनाव तत्काल घोषित करने की बाध्यता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेश में निकायों के चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर करवाने की अनुमति दी गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विगत समय नगर पालिका, पन्ना, गढाकोटा, मलाजखण्ड तथा खुरई की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, तदनुसार इन 04 निकायों में यथा–शीघ्र वार्ड परिसीमन एवं वार्ड आरक्षण की कार्यवाही न्यायालयीन आदेशों के कम में पूर्ण करना है। इस प्रकार उपरोक्त 04 निकायों को छोडते हुए सूची अनुसार 317 निकाय जिनके वार्ड आरक्षण आपके द्वारा पूर्व में किये जाकर अधिसूचित किये गये हैं उनमें न्यायालयीन आदेश के पालन में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाकर संशोधित अधिसूचना प्रकाशित करना होगा।

3) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेशों (परिशिष्ट–3,4) के अनुकम में नगरीय निकायों के चुनाव तथा आरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :– अ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2022 के अनुसार नगरीय निकायों की निर्धारित सीमा के आधार पर चुनाव करवा लिये जायें।

1.

a) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा यथा रिथति निकायवार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गयी अनुशंसा के अनुसार नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण किया जावे। आयोग की निकायवार अनुशंसा (परिशिष्ट–5) संलग्न है।

स) आरक्षण की कार्यवाही में सुनिश्चित किया जावे कि निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित अधिकतम वार्डों की संख्या कुल वार्डों की संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो।

4) माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा निकायवार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गयी अनुशंसा के अनुसार आरक्षण किया जाना है। उक्त आदेश के अनुकम में अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यथा रिथति आवश्यक संशोधन करना होगा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के आंकडे अभी भी प्रभावी है अतैव ऐसी सभी निकायों में जहां निर्वाचन के दृष्टिगत पूर्व में आरक्षण हो चुका है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए वार्डो का आरक्षण पूर्वानुसार ही रहेगा।

5) इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेशानुसार एवं मध्यप्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के कम में नगरीय निकायों के वर्तमान आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि जिन नगरीय निकायों में यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में वृद्धि हो, ऐसी निकायों में पूर्व में किये गये आरक्षण को संशोधित करते हुए तथा चकानुकम की रीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अनारक्षित श्रेणी के वार्डों से लॉट डालकर मात्र बढी हुई संख्या अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाना होगा।

इसी प्रकार जिन निकायों में यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या कम करना हो, उक्त हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए <u>लॉट डालने की कार्यवाही नये सिरे से</u> चकानुकम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनः की जावेगी।

6) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार वार्डों का आरक्षण करते समय निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतो को ध्यान में रखा जाना है:--

- यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा ।
- ॥. यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा।
- III. यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा।
- IV. किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

7) विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्काल चुनाव घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन हेतु आवश्यक है कि चुनाव की घोषणा के पूर्व ही उपरोक्तानुसार आरक्षण के संशोधन की कार्यवाही कर ली जावे। इस हेतु अंतिम दिनांक 24 मई 2022 निर्धारित की जाती है।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल वार्डों के 25 प्रतिशत वार्ड आरक्षित करने के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुसार कुल वार्डों की 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

आवश्यक है कि समयाभाव के कारण आरक्षण उपरांत उक्त नियम, 1994 के नियम 7(2) के अनुसार अधिसूचना का प्रारूप हिंदी व अंग्रेजी में तथा पेन—ड्राईव में सॉफट कॉपी में तथा सूची अनुसार अन्य जानकारी (परिशिष्ट—6) विशेष वाहक के हस्ते आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजी जावे। उक्त अधिसूचना यथा—शीघ्र प्रकाशित करने हेतु संचालनालय स्तर पर संभागवार टीम का गठन किया गया है तत्संबंधी आदेश की प्रति (परिशिष्ट—7) संलग्न है।

8) उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेश के पालन में उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय-सीमा में आवश्यक रूप से पूर्ण करना है किसी विषय पर कठिनाई होने पर दूरभाष पर आयुक्त / अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (मो.न. 8827123700) से चर्चा कर कठिनाईयों का निराकरण कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों के तहत आरक्षण की कार्यवाही समय—सीमा में कर दिनांक 24 मई 2022 को ही सायः 5 बजे तक पालन प्रतिवेदन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें ताकि दिनांक <u>25 मई 2022</u> को कार्यवाही पूर्ण होने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जा सके। विभाग में नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में पृथक से मेल आई डी – ulb.election@mpurban.gov.in निर्मित किया गया है जिसका उपयोग निर्वाचन कार्यार्थ किया जावे।

संलग्न :-- सूची अनुसार ।

भर्मि. (मनीष सिंह)

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मई 2022

पृ० कमांक एफ 1-14/2022/18-3

- 1) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल,
- 2) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल,
- 3) समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश,

(3)

- 5) समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद / नगर परिषद, मध्यप्रदेश ।
- 6) श्री नरेन्द्र भगत, वेब कॉन्टेक्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संलग्नकों की सूची

क्र	. परिशिष्ट क्रमांक	
1		1999
		मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 5 द्वारा जिला कलेक्टर को वार्ड आरक्षण करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित करने संबंधी अधिसूचना की प्रति ।
2	परिशिष्ट – 2	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन अयोग से प्राप्त सूची
3	परिशिष्ट – 3	माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2022
4	परिशिष्ट – 4	माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 18.05.2022
5	परिशिष्ट – 5	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाय वार की गयी अनुशंसा की प्रति ।
6	परिशिष्ट – 6	मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7(2) अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु (03 प्रतियों में) प्रेषित की जाने वाली जानकारी का विवरण। 1. संशोधित आरक्षण कार्यवाही से संबंधित कार्यवाही विवरण 2. संशोधित अधिसूचना (प्रारूप अनुसार) (अ) हिन्दी में (ब) अंग्रेजी में 3. संबंधित नगरीय निकाय के लिए अवधारित वार्डों की संख्या संबंधी अधिसूचना की प्रति। 4. संबंधित नगरीय निकाय की वर्ष 2011 जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या, वार्डवार जनसंख्या तथा वार्डवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का पत्रक
7	परिशिष्ट – 7	संचालनालय स्तर पर गठित दल से संबंधित आदेश

परि-1

(म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.8.2007 पृष्ठ 840 (3) पर प्रकाशित ।) क्रं. 842-अठारह-तीन-94, दिनांक 3 सितम्बर, 1994 -- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा समस्त कलेक्टरों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में वार्डों का आरक्षण करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित करती है।

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असीधोरण) दिनांक 3 सितम्बर, 1994 में प्रकाशित I)

परि- 2

M.P. State Election Commission Five Year Urban Election Projection 2018-2023

पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध	योग
6	1	
3	287	290
10	8	18
3	4	7
37	19	56
59	319	378
	6 3 10 3 37	6 1 3 287 10 8 3 4 37 19

क्रमांक	नगरीय निकाय क्रमांक	जिला	नगरीय निकाय का नाम	साधारण निर्वाचन संपन्न होने की तारीख	प्रथम सम्मिलन की तारीख	हान का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
			पूर्वार्द्ध 2018			
1	1	शिवपुरी	नरवर नगर परिषद्	16-01-2013	13-02-2013	12-02-2018
2	2	शहडोल	धनपुरी नपा0 परिषद	28-06-2012	06-08-2012	05-08-2017
3	3	ं उमरियाः	उमरिया न0पा0प0	18-01-2013	12-02-2013	11-02-2018
4	4	रायसेन	साँची नगर परिषद्	29-04-2013	18-06-2013	17-06-2018
5	5	सीधी	चुरहट नगर परिषद्	29-04-2013	27-06-2013	26-06-2018
6	6	बैतूल	भेसदेही नगर परिषद्	24-08-2013	16-09-2013	15-09-2018
Participation -			उत्तरार्द्ध 2018			
7	-	अनूपपुर	अनूपपुर न0पा0प0	20-09-2013	17-10-2013	16-10-2018
			पूर्वार्द्ध 2019			
8	1	सीधी	सीधी न0पा0प0	28-02-2014	06-06-2014	05-06-2019
9	2	देवास	पीपलरांवा नगर परिषद्	06-08-2014	30-08-2014	29-08-2019
10	3	_"	टोंकखुर्द नगर परिषद्	06-08-2014	08-09-2014	07-09-2019
			उत्तरार्द्ध 2019			
11	1	श्योपुर	श्योपूर न.पा.प.	28-11-2014	07-01-2015	06-01-2020
12	2		बड़ौदा नगर परिषद	28-11-2014	07-01-2015	06-01-2020
13	3		विजयपुर नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-2020
14	4	मुरैना	अम्बाह न.पा.प.	28-11-2014	15-01-2015	14-01-2020
15	5	A LEAST ALL AND	जौरा नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
16	6	AND N.B.	सबलगढ़ न.पा.प.	02-12-2014	14-01-2015	13-01-2020
17	7	c	पोरसा न.पा.प.	02-12-2014	14-01-2015	13-01-2020
18	8	S. A. Maria	बानमोर नगर परिषद्	02-12-2014	16-02-2015	15-02-2020

19	9	·除水性和增加的。	झुण्डपुरा नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
20	10		कैलारस नगर परिषद	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020
21	11	মিण্ড	भिण्ड न.पा.प.	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
22	12		गोहद न.पा.प.	28-11-2014	15-01-2015	14-01-2020
23	13		फूफ नगर परिषद्	28-11-2014	14-01-2015	13-01-2020
24	14		मिहोना नगर परिषद	28-11-2014	16-01-2015	15-01-2020
25	15	1 A 1 A 1	लहार नगर परिषद	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
26	16		दबोह नगर परिषद	28-11-2014	15-01-2015	14-01-2020
27	17		अकोड़ा नगर परिषद	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
28	18		मेहगांव नगर परिषद	02-12-2014	14-01-2015	13-01-2020
29	19		गोरमी नगर परिषद्	02-12-2014	14-01-2015	13-01-2020
30	20		मौ नगर परिषद	02-12-2014	17-01-2015	16-01-2020
31	21		आलमपुर नगर परिषद्	02-12-2014	20-01-2015	19-01-2020
32	22	ग्वालियर	ग्वालियर न.पा.नि.	28-11-2014	11-01-2015	10-01-2020
33	23		डबरा न.पा.प.	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
34	24	and the second	आंतरी नगर परिषद्	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
35	25		भितरवार नगर परिषद	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
36	26		बिलौआ नगर परिषद्	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
37	27	a the second second	पिछोर नगर परिषद्	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
38	28	दतिया	दतिया न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
39	29		सेंवढ़ा नगर परिषद	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
40	30		भांडेर नगर परिषद	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
41	31		इन्दरगढ़ं नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
42	32		बड़ोनीखुर्द नगर परिषद्	31-01-2015	12-03-2015	11-03-202
43	33	शिवपुरी	करेरा नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
44	34	ittigti	कोलारस नगर परिषद	28-11-2014	05-01-2015	04-01-202
45	35		बैराढ़ नगर परिषद	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
45	36			28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
	de rejekterig en e n en en en		खनियाधाना नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-202
47	37		पिछोर नगर परिषद्	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
48	38		बदरवास नगर परिषद्	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
49	39		शिवपुरी न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	A A ANY A MARY
50	40	गुना	चाचोड़ा बीनागंज नगर परिषद्			08-01-202
51	41		कुंभराज नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
52	42		गुना न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
53	43		आरोन नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-202
54	44	अशोकनगर	अशोकनगर न.पा.प.	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
55	45		मुंगावली नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
56	46		शाढौरा नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
57	47		चंदेरी न.पा.प.	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
58	48	सागर	सागर न.पा.नि.	28-11-2014	01-01-2015	31-12-20
59	49	na shartar -	बीनाइटावा न.पा.प.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-20
60	50		खुरई न.पा.प.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-20
61	51	1973 11 - 194	रहली न.पा.प.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-20

62	52		गढ़ाकोटा न.पा.प.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
63	53		देवरी न.पा.प.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
64	54	一個國際	राहतगढ़ नगर परिषद्	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
65	55		शाहपुर नगर परिषद्	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
66	56		बण्डा नगर परिषद्	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
67	57		शाहगढ़ नगर परिषद्	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
68	58	टीकमगढ़	पलेरा नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
69	59		लिधोराखास नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
70	60		बड़ागॉव नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
71	61		निवाड़ी नगर परिषद्	28-11-2014	08-01-2015	07-01-2020
72	62		टीकमगढ़ न.पा.प.	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
73	63		कारी नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
74	64		तरीचरकला नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-2020
75	65		बल्देवगढ़ नगर परिषद्	02-12-2014	23-01-2015	22-01-2020
76	66		खरगापुर नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
77	67		जैरोन नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
78	68		पृथ्वीपुर नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
79	69		जतारा नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
80	70	छतरपुर	छतरपुर न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
81	71		राजनगर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
82	72		हरपालपुर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
83	73		बारीगढ़, नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
84	74		सटई नगर परिषद्	28-11-2014	27-01-2015	26-01-2020
85	75		नौगांव न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
86	76	2243364	महाराजपुर न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
87	77		बिजावर नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
88	78		लवकुश नगर नगर परिषद	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
89	79		गढ़ीमलहरा नगर परिषद	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
90	80		खजुराहो नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
91	81	a a state.	चन्दला नगर परिषद	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
92	82	141443	बड़ामलहरा नगर परिषद	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
93	83		बकस्वाहा नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
94	84	दमोह	तेन्दूखेड़ा नगर परिषद्	28-11-2014	04-01-2015	03-01-2020
95	85	A Barris Rolling	हटा न.पा.प.	28-11-2014	04-01-2015	03-01-2020
96	86	and the second	दमोह न.पा.प.	02-12-2014	04-01-2015	03-01-2020
97	87	and the second	पथरिया नगर परिषद	02-12-2014	04-01-2015	03-01-2020
98	88		डिण्डोरिया नगर परिषद	02-12-2014	04-01-2015	03-01-2020
99	89		पटेरा नगर परिषद	31-01-2015	10-02-2015	09-02-2020
100	90	पन्ना	पवई नगर परिषद्	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
101	91		ककरहटी नगर परिषद	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
101	92		अमानगंज नगर परिषद	28-11-2014	20-01-2015	19-01-2020
102	92			02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
103	93	No. The Property of the	पन्ना न.पा.प. अजयगढ़ नगर परिषद	02-12-2014	24-01-2015	23-01-2020

105	95		देवेन्द्रनगर नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
106	96	सतना	सतना न.पा.नि.	28-11-2014	02-01-2015	01-01-2020
107	97	1	उचेहरा नगर परिषद्	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
108	98		बिरसिंहपुर नगर परिषद्	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020
109	99		चित्रकूट नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
110	100		नागोद नगर परिषद	02-12-2014	13-01-2015	12-01-2020
111	101		रामपुर बघेलान नगर परिषद्	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020
112	102		कोठी नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
113	103		न्यू रामनगर नगर परिषद्	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020
114	104	1 11-23 的原则	अमरपाटन नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
115	105		जैतवारा नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
116	106	रीवा	रीवा न.पा.नि.	28-11-2014	02-01-2015	01-01-2020
117	107		गोविन्दगढ़ नगर परिषद्	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
118	108	1 Martines	गुढ़ नगर परिषद्	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
119	109		बैकुन्ठपुर नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
120	110		हनुमना नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
121	111		मउगंज नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
122	112		त्यौथर नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
123	113		सेमरिया नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
124	114	1. A. A. C.	नईगढ़ी नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
125	115	or de Balana	सिरमोर नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
126	116		मनगवां नगर परिषद्	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
127	117	सीधी	रामपुर नैकिन नगर परिषद्	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
128	118	सिंगरौली	सिंगरौली नगरपालिक निगम	28-11-2014	02-01-2015	01-01-2020
129	119	शहडोल	ब्योहारी नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
130	120		खांड नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
. 131	121	उमरिया	नोरोजाबाद नगर परिषद्	28-11-2014	24-12-2014	23-12-2019
132	122		चन्दिया नगर परिषद्	28-11-2014	22-12-2014	21-12-2019
133	123	कटनी	कैमोर नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-2020
134	124		बरही नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-2020
135	125		विजयराघवगढ़ नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-2020
136	126		कटनी न.पा.नि.	02-12-2014	02-01-2015	01-01-2020
137	127	जबलपुर	पनागर न.पा.प.	28-11-2014	21-01-2015	20-01-2020
138	128	1	बरेला नगर परिषद	28-11-2014	19-01-2015	18-01-2020
139	129		पाटन नगर परिषद	28-11-2014	20-01-2015	19-01-2020
140	130	and the states of	मझौली नगर परिषद्	28-11-2014	27-01-2015	26-01-2020
141	131	1.201247	सिहोरा न.पा.प.	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
142	132		शाहपुरा नगर परिषद्	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020
143	133		कटंगी नगर परिषद्	02-12-2014	15-01-2015	14-01-2020
144	134		जबलपुर न.पा.नि.	31-01-2015	19-02-2015	18-02-2020
145	135	बालाघाट	The transferrer barren and the transferrer and the	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
145	135	HEIMIC	बालाघाट न.पा.प.	28-11-2014	16-01-2015	15-01-2020
146	136	9 9623	मलाजखंड न.पा.प.	02-12-2014	16-01-2015	15-01-2020

148	138	行时的方法的	कटंगी नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
149	139	सिवनी	सिवनी नगरपालिका परिषद	28-11-2014	10-01-2015	09-01-2020
150	140		बरघाट नगर परिषद	28-11-2014	10-01-2015	09-01-2020
151	141	नरसिंहपुर	गाडरवाड़ा न.पा.प.	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
152	142		सालीचौका (बाबई) नगर परिषद	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
153	143		तेंदूखेड़ा' नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
154	144		सांईखेड़ा नगर परिषद्	28-11-2014	13-01-2015	12-01-2020
155	145		नरसिंहपुर न.पा.प.	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
156	146		गोटेगांव न.पा.प.	02-12-2014	19-01-2015	18-01-2020
157	147		करेली नृ.पा.प.	02-12-2014	12-01-2015	11-01-2020
158	148		चिचली नगर परिषद्	02-12-2014	11-01-2015	10-01-2020
159	149	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा न.पा.प.	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
160	150		चौरई न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
161	151		न्यूटन चिखली नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
162	152		लोधीखेड़ा नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
163	153		बड़कुही नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
164	154		पिपलानारायणवार नगर परिषद	28-11-2014	13-01-2015	12-01-2020
165	155		डोंगर परासिया न.पा.प.	02-12-2014	13-01-2015	12-01-2020
166	156		चांदामेटा बुटारिया नगर परिषद्	02-12-2014	13-01-2015	12-01-2020
167	157		बिछुआ नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015 .	09-01-2020
168	158	and the second	चांद नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-2020
169	159		छिंदवाड़ा न.पा.नि.	31-01-2015	18-02-2015	17-02-2020
170	160	बैतूल	बैतूल न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
171	161		आमला न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
172	162		बैतूल बाजार नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-2020
173	163		मुलताई न.पा.प.	02-12-2014	07-01-2015	06-01-2020
174	164	हरदा	खिरकिया नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
175	165		टिमरनी नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
176	166	होशंगाबाद	पिपरिया न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
177	167		सोहागपुर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
178	168		बाबई नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
179	169		होशंगाबाद न.पा.प.	02-12-2014	13-01-2015	12-01-202
180	170		सिवनी मालवा न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
181	171	1 S MARTIN	इटारसी न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
182	172		बनखेडी नगर परिषद	31-01-2015	21-02-2015	20-02-202
183	173	रायसेन	बाड़ी नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
184	174		उदयपुरा नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
185	175		सुल्तानपुर नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
186	176		सिलवानी नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-2020
187	177		गैरतगंज नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
188	178		रायसेन न.पा.प.	02-12-2014	07-01-2015	06-01-202
189	179		बेगमगंज न.पा.प.	02-12-2014	07-01-2015	06-01-202
190	180		बगमगज न.पा.प. ओबेदुल्लागंज नगर परिषद्	02-12-2014	07-01-2015	06-01-202

1				02-12-2014	07-01-2015	06-01-2020
191	181		बरेली नगर परिषद्	28-11-2014	08-01-2015	07-01-2020
192	182	विदिशा	सिरोंज न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
193	183		लटेरी नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
194	184		गंजबासोदा न.पा.प.	02-12-2014	06-01-2015	05-01-2020
195	185		कुरवाई नगर परिषद्	31-01-2015	18-02-2015	17-02-2020
196	186		शमशाबाद नगर परिषद्	28-11-2014	16-01-2015	15-01-2020
197	187	भोपाल	बैरसिया न.पा.प.	31-01-2015	19-02-2015	18-02-2020
198	188		भोपाल न.पा.नि.	28-11-2014	05-01-2015	04-01-2020
199	189	सीहोर	आष्टा न.पा.प.	28-11-2014	05-01-2015	04-01-2020
200	190	attaines in	रेहटी नगर परिषद्	28-11-2014	05-01-2015	04-01-2020
201	.191		कोठरी नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
202	192		जावर नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
203	193	的过去时的	इछावर नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
204	194		बुदनी नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
205	195		नसरुल्लागंज नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
206	196	राजगढ़	जीरापुर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
207	197		पचेार नगर परिषद्	28-11-2014	13-01-2015	12-01-2020
208	198		माचलपुर नगर परिषद्	28-11-2014	14-01-2015	13-01-2020
209	199	- 不会的教育	खिलचीपुर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
210	200		बोड़ा नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-2020
211	201		कुरावर नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
212	202		राजगढ़ न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
213	203		ब्यावरा न.पा.प.	02-12-2014	08-01-2015	07-01-2020
214	204		नरसिंहगढ़ न.पा.प.	for a property and the shall be a set	12-01-2015	11-01-2020
215	205	Constant of the second s	तलेन नगर परिषद्	02-12-2014	08-01-2015	07-01-2020
216	206		खुजनेर नगर परिषद्	02-12-2014	A CONTRACTOR OF A CONTRACT	North Contraction of the State
217	207		सुठालिया नगर परिषद्		09-01-2015	10-01-2020
218	208		छापीहेड़ा नगर परिषद्	31-01-2015	11-03-2015	08-01-2020
219	209	आगर मालवा	आगर मालवा न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	16-01-2020
220	210		बड़ोद नगर परिषद्	28-11-2014	17-01-2015	
221	211		कानड नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-2020
222	212	ala shinafa Ana ku shikara	नलखेड़ा नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
223	213		सुसनेर नगर परिषद्	02-12-2014	06-01-2015	05-01-2020
224	214		सोयतकलां नगर परिषद्	02-12-2014	06-01-2015	05-01-2020
225	215		बडागांव नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
226	216	शाजापुर	अकोदिया नगर परिषद्	28-11-2014	05-01-2015	04-01-2020
227	217		पोलायकलां नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
228	218		मक्सी नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-2020
229	210		शुजालपुर न.पा.प.	02-12-2014	09-01-2015	08-01-2020
230	219		पानखेड़ी नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-2020
Bally The second second second second	220	देवास	देवास न.पा.नि.	28-11-2014	02-01-2015	01-01-2020
231	221	1 11 1	खातेगांव नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
Sector Sector				28-11-2014	09-01-2015	08-01-2020
233	223		बागली नगर परिषद्	an ann an		

234	224		सोनकच्छ नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
235	225		भौंरासा नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
235	226		हाटपिपल्या नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-202
and and a second second	227		करनावद नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-202
237	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		कन्नौद नगर परिषद्	02-12-2014	08-01-2015	07-01-202
238	228			02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
239	229	<u>, 1, 1, 1, 5, 6</u>	सतवास नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-202
240	230		कांटाफोड़ नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
241	231		लोहरदा नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-202
242	232		नेमावर नगर परिषद्		06-01-2015	05-01-202
243	233	उज्जैन	खाचरौद न.पा.प.	28-11-2014	and the second	05-01-202
244	234		बड़नगर न.पा.प.	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
245	235		तराना नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	
246	236		माकड़ोन' नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
247	237	and the second	महिदपुर न.पा.प.	02-12-2014	07-01-2015	06-01-202
248	238	- Longer (Se	नागदा न.पा.प.	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
249	239		उन्हेल नगर परिषद्	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
250	240	रतलाम	रतलाम न.पा.नि.	28-11-2014	02-01-2015	01-01-202
251	241	d Constants	नामली नगर परिषद्	28-11-2014	05-01-2015	04-01-202
252	242	4001	पिपलौदा नगर परिषद्	28-11-2014	05-01-2015	04-01-202
253	243		जावरा न.पा.प.	02-12-2014	05-01-2015	04-01-202
254	244		आलोट नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-202
255	245		बड़ावदा नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-202
256	246		ताल नगर परिषद्	02-12-2014	05-01-2015	04-01-202
257	247	मन्दसौर	नगरी नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
258	248		सीतामउ नगर परिषद्	28-11-2014	13-01-2015	12-01-202
259	249		नारायणगढ़ नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
260	250	1 Barbard	शामगढ़ नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
261	251	361012-3	भानपुरा नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
262	252		मल्हारगढ़ नगर परिषद्	02-12-2014	08-01-2015	07-01-202
263	253		पिपल्यामंडी नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
264	254		गरोठ नगर परिषद्	02-12-2014	09-01-2015	08-01-202
265	255	नीमच	जावद नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
266	256		मनासा नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
267	257		कुकड़ेश्वर' नगर परिषद्	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
268	258		डिकेन नगर परिषद्	28-11-2014	08-01- <mark>2015</mark>	07-01-202
269	259		रतनगढ़ नगर परिषद	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
270	260		सिंगोली नगर परिषद	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
271	261		रामपुरा नगर परिषद्	28-11-2014	06-01-2015	05-01-202
272	262		अठाना नगर परिषद	28-11-2014	07-01-2015	06-01-202
273	263		नीमच न.पा.प.	02-12-2014	08-01-2015	07-01-202
274	264		जीरन नगर परिषद	02-12-2014	06-01-2015	05-01-202
275	265		नयागांव नगर परिषद	02-12-2014	08-01-2015	07-01-202

276	266	國際的問題	सरवनिया महाराज नगर परिषद्	02-12-2014	08-01-2015	07-01-202
277	267	खण्डवा	खण्डवा न.पा.नि.	28-11-2014	14-01-2015	13-01-202
278	268		मूंदी नगर परिषद्	28-11-2014	14-01-2015	13-01-202
279	269		पंधाना नगर परिषद्	28-11-2014	14-01-2015	13-01-202
280	270	बुरहानुपर	बुरहानपुर न.पा.नि.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
281	271	dan San	शाहपुर नगर परिषद्	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
282	272	खरगौन	बड़वाह न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
283	273		सनावद न.पा.प.	28-11-2014	09-01-2015	08-01-202
284	274	10.52	कसरावद नगर परिषद्	28-11-2014	12-01-2015	11-01-202
285	275		करही पाडल्याखुर्द नगर परिषद्	28-11-2014	11-01-2015	10-01-202
286	276		खरगौन न.पा.प.	02-12-2014	07-01-2015	06-01-202
287	277	झाबुआ	मेघनगर नगर परिषद्	28-11-2014	05-01-2015	04-01-202
288	278	धार	बदनावर नगर परिषद्	02-12-2014	12-01-2015	11-01-202
289	279	इन्दौर	राउ नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-202
289	279		हातोद नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-202
290	280		बेटमा नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-202
291	281	Contraction of	देपालपुर नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-202
292	282		गौतमपुरा नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-20
293	283		महूगांव नगर परिषद्	02-12-2014	13-01-2015	12-01-20
Electron of the second s	284		मानपुर नगर परिषद्	02-12-2014	13-01-2015	12-01-20
295	285		सांवेर नगर परिषद्	02-12-2014	10-01-2015	09-01-20
296 297	286		इन्दौर न.पा.नि.	31-01-2015	19-02-2015	18-02-20
291			पूर्वार्द्ध 2020			
		उज्जैन	पूर्याख् 2020 उज्जैन न0पा0नि0	12-08-2015	04-09-2015	03-09-2
298	1	Contraction of the second second	- 1944 (1947) (1947) (1947)		09-09-2015	12.09/14/2010/01/19/19/06/2010/
299	2	मुरैना विदिशा	मुरैना न0पा0नि0 विदिशा न0पा0प0	12-08-2015	03 00 2010	03-09-2
300	3	and the second s		12-08-2015		06-09-2
301	4	राजगढ़	सारंगपुर न0पा0प0	12-08-2015		10-09-2
302	5	छतरपुर	धुवारा नगर परिषद्	12-08-2015		02-09-2
303	6	रीवा	चाकघाट नगर परिषद्			13-09-2
304	7	सतना	कोटर नगर परिषद्	12-08-2015	A CONTRACTOR ACCESS	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
305	8	मंदसौर	सुवासरा नगर परिषद्	12-08-2015	and the second space	07-09-2
306	9	बालाघाट	लांजी नगर परिषद्	12-08-2015	and the second sec	15-09-2
307	10	सागर	मकरोनिया बुजूर्ग न0पा0प0	08-09-2015	26-09-2015	25-09-2
			उत्तरार्द्ध 2020			
308	1	रतलाम	धामनोद नगर परिषद्	22-12-2015	14-01-2016	13-01-2
309	2	सीहोर	सीहोर न.पा.प.	22-12-2015	18-01-2016	17-01-2
310	3	सीहोर	शाहगंज नगर परिषद्	22-12-2015	18-01-2016	17-01-2
311	4	टीकमगढ़	ओरछा नगर परिषद	22-12-2015		12-01-2
312	5	जबलपुर	भेड़ाघाट नगर परिषद	22-12-2015		02-02-2
313	6	मंदसौर	मंदसौर न.पा.प.	22-12-2015		a state and a state of the stat
313		शाजापुर	A CONTRACT OF A CO	22-12-2015		a and the second second
314	7 8	राणपुर सीधी	शाजापुर न.पा.प. मझौली नगर परिषद	 Sector Sector State of the Sector Sect		L. MARINE MALE AND A
ACTING TO THE MENTION -	A STATE OF	A HININ	मयाला नगर परिषद	22-12-2015	18-01-2010	

			पूर्वार्द्ध 2021			
316	1	सतना	मेहर न0पा0प0	15-07-2016	05-08-2016	04-08-202
317	2	अशोकनगर	ईसागढ़ नगर परिषद्	15-07-2016	09-08-2016	08-08-202
318	3	रायसेन	मण्डीदीप न0पा0प0	15-07-2016	05-08-2016	04-08-202
			उत्तरार्द्ध 2021			
319	1	हरदा	हरदा न0पा0प0	04-01-2017	04-02-2017	03-02-202
319	2	अनूपपुर	परान न0पा0प0	20-01-2017	14-02-2017	13-02-202
321	3	अनूपपुर	अमरकंटक नगर परिषद्	04-01-2017	31-01-2017	30-01-202
321	4	धार	माण्डव नगर परिषद	04-01-2017	06-02-2017	05-02-202
322		ALC NEW STRATE	पूर्वार्द्ध 2022			
	and the second of the second second	Jauren	Carrier Construction and a second	11-08-2017	06-09-2017	05-09-202
323	1	खण्डवा	छनेरा नगर परिषद् सैलाना नगर परिषद	11-08-2017	06-09-2017	05-09-202
324	2	रतलाम	सलाना नगर परिषद सारनी नगरपालिका परिषद	11-08-2017	07-09-2017	06-09-202
325	3	बैतूल	सरिना नगरपालिका परिषय आठनेर नगर परिषद	11-08-2017	08-09-2017	07-09-202
326	4		a state of the second	11-08-2017	11-09-2017	10-09-202
327	5		चिचोली नगर परिषद	11-08-2017	08-09-2017	07-09-202
328	6	झाबुआ	झाबुआ नगरपालिका परिषद	11-08-2017	08-09-2017	07-09-202
329	7		रानापुर* नगर परिषद	11-08-2017	09-09-2017	08-09-202
330	8		थान्दला नगर परिषद	11-08-2017	09-09-2017	08-09-202
331	9		पेटलावद नगर परिषद	11-08-2017	12-09-2017	11-09-202
332	10	अलिराजपुर	अलिराजपुर नगरपालिका परिषद	11-08-2017	13-09-2017	12-09-20
333	11		जोबट नगर परिषद	Construction of the second second second second	13-09-2017	12-09-20
334	12		चन्द्रशेखर आजाद नगर, नगर परिषद	11-08-2017		
335	13	खरगौन	भीकनगांव नगर परिषद	11-08-2017	11-09-2017	10-09-20
336	14		महेश्वर नगर परिषद	11-08-2017	09-09-2017	08-09-20
337	15		मण्डलेश्वर नगर परिषद	11-08-2017	07-09-2017	06-09-20
338	16	बुरहानुपर	नेपानगर नगरपालिका परिषद	11-08-2017	30-08-2017	29-08-20
		छिंदवाड़ा		11-08-2017	05-09-2017	04-09-20
339	17		जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद			
340	18		दमुआ'नगरपालिका परिषद	11-08-2017	06-09-2017	05-09-20
341	19		हर्रई नगर परिषद	11-08-2017	06-09-2017	05-09-20
342	20		पांढूरना नगरपालिका परिषद	11-08-2017	06-09-2017	05-09-20
343	21		सौंसर नगरपालिका परिषद	11-08-2017	05-09-2017	04-09-20
344	22		मोहगांव नगर परिषद	11-08-2017	05-09-2017	04-09-20
345	23	सिवनी	लखनादौन नगर परिषद	11-08-2017	08-09-2017	07-09-20
346	24	Salar and an and a set of the set	मण्डला नगरपालिका परिषद	11-08-2017	04-09-2017	03-09-20
347	25	Constant in the second	निवास' नगर परिषद	11-08-2017	04-09-2017	03-09-20
348	26		बम्हनीबंजर नगर परिषद	11-08-2017	04-09-2017	Charlenge and a source
349	20		बन्हनाबजर नगर परिषद	11-08-2017	04-09-2017	
349			गिछिया नगर परिषद नैनपुर नगरपालिका परिषद	11-08-2017	04-09-2017	
	28	डिण्डोरी		11-08-2017	04-09-2017	an fing transmission of the second
351	29	IS SUR	डिण्डोरी नगर परिषद	The state of the second se	CONTRACTOR AND A CONTRACT AND A	A Michael and Andrew Michael and Andrew State
351	29 30	1949171	डिण्डारी नगर परिषद शहपुरा नगर परिषद	11-08-2017	04-09-2017	u Kaléndenakana

353	31	बालाघाट	बैहर नगर परिषद	11-08-2017 13-09-2017 12-09-2022
355	32	शहडोल	जयसिंहनगर नगर परिषद	11-08-2017 06-09-2017 05-09-2022
355	33		शहडोल नगरपालिका परिषव	11-08-2017 06-09-2017 05-09-2022
356	34		बुढ़ार नगर परिषद	11-08-2017 06-09-2017 05-09-2022
357	35	अनूपपुर	कोत्तमा नगरपालिका परिषद	11-08-2017 05-09-2017 04-09-2022
358	36		बिजुरी नगरपालिका परिषद	11-08-2017 05-09-2017 04-09-2022
359	37	उमरिया	पाली** चगरपालिका परिषद	11-08-2017 04-09-2017 03-09-2022
			उत्तरार्द्ध 2022	
360	1	धार	धार नगरपालिका परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
361	2		सरदारपुर नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
362	3		राजगढ नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
363	4		कुक्षी नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
364	5		मनावर नगरपालिका परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
365	6		धरमपुरी नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
366	7		धामनोद नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
367	8		डही नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
367	8 9		पीथमपुर न0पा0प0	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
368	9 10	बडवानी	संधवा नगरपालिका परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
	10		पानसेमल_नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
370	11		खेतिया नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
371	12		पलसद नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-2023
372			बडवानी नगरपालिका परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-202
373	14		अंजड नगर परिषद	17-01-2018 09-02-2018 08-02-202
374	15		•	17-01-2018 09-02-2018 08-02-201
375	16		राजपुर नगर परिषद	17-01-2018 05-02-2018 04-02-20
376	17	खण्डवा	ओंकरेश्वर नगर परिषद्	
377	18	गुना	राघोगढ़ विजयपुर न0पा0प0	
378	19	अनूपपुर	जैतहरी नगर परिषद्	17-01-2018 13-02-2018 12-02-20

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 278 OF 2022

SURESH MAHAJAN

... PETITIONERS

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ANR.RESPONDENTS

JUDGMENT

A.M. KHANWILKAR, J.

1. This writ petition assails the validity of Section 10(1) of the Madhya Pradesh Municipal Act, 1956, Sections 12, 23 and 30 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 and Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 as being arbitrary and usurping the powers and independence of the State Election Commission.

2. By stated amendments, the State Government has been authorized to issue notification from time to time determining the number and extent of wards to be constituted in the concerned local bodies. More or less, similar situation obtains in the dispensation provided for in the State of Maharashtra, after the amendment of relevant enactments as noted in our order dated 04.05.2022 passed in SLP(C) No. 19756 of 2021 and connected cases.

3. The grounds urged in the present writ petition are similar to the issues raised and involved in the aforementioned matters pertaining to State of Maharashtra. This Court vide order dated 04.05.2022 has already noted that deeper examination of the questions raised by the parties will be necessary; and, therefore, the matters have been ordered to be posted for further hearing. It is appropriate that even this matter is heard along with the said group of cases. We order accordingly.

4. Reverting to the issue of non-conduct of elections in respect of large number of local bodies in the State of Madhya Pradesh, even that is no different. As a matter of fact, the number in this State is quite staggering. The chart handed over to the Court by the learned counsel for the Madhya Pradesh State Election Commission, indicates that there are about 321 urban local bodies, where elections have not been held from 2019-2020. Further, the local bodies at the grassroot level (rural local bodies) where elections have not been held in the same manner are

around 23,073, as of now.

5. The elections have not been held assumedly for the same reason as in the case of State of Maharashtra, namely, the State has still not been able to complete the triple test formalities as predicated in the decision of this Court in Vikas Kishanrao Gawali Vs. State of Maharashtra¹. As a result of which, reservation for Other Backward Classes (OBC) category cannot be provisioned by the State Election Commission. This has happened despite the peremptory directions given by this Court vide successive orders, including dated 03.03.2022. This Court had made it amply clear that conduct of elections to install the newly elected body in the concerned local self-government cannot brook delay, owing to the Constitutional mandate exposited in Article 243-E and 243-U including the provisions in the concerned State Legislation in that regard.

6. A somewhat hiatus situation occurs and is permitted only when the dissolution of a local body is necessitated before the expiry of the term of that local body. Else, the term of the local self-government has been specified as 5 (five) years from its first meeting, "and no longer", in Article 243-E as well as in Article 1 (2021) 6 SCC 73

243-U. This has been restated by the Constitution Bench of this Court in *Kishansing Tomar Vs. Municipal Corporation of the City of Ahmedabad & Ors.*².

7. Thus, all concerned are obliged to ensure that the newly elected body is installed in every local body before the expiry of 5 (five) years term of the outgoing elected body. Even in case of dissolution before the expiry of five years period, where an Administrator is required to be appointed by the State, that regime cannot be continued beyond 6 (six) months by virtue of relevant provisions in the respective State Legislation(s).

8. This constitutional mandate is inviolable. Neither the State Election Commission nor the State Government or for that matter the State Legislature, including this Court in exercise of powers under Article 142 of the Constitution of India can countenance dispensation to the contrary.

9. Despite such constitutional mandate, the reality in the State of Madhya Pradesh as of now, is that, more than 23,263 local bodies are functioning without the elected representatives for last over two years and more. This is bordering on break down of rule

of law and more so, palpable infraction of the constitutional mandate *qua* the existence and functioning of such local selfgovernment, which cannot be countenanced.

10. The fact that the State legislature has effected amendments in the concerned enactment(s) authorizing the State Government to determine the number and extent of wards to be constituted in the local bodies within the State also cannot be a tangible or legitimate ground to not notify the election programme within the time-frame specified by the Constitution and the law made by the Legislature in that regard.

11. In any case, the ongoing activity of delimitation or formation of ward cannot be a legitimate ground to be set forth by any authority much less the State Election Commission - to not discharge its constitutional obligation in notifying the election programme at the opportune time and to ensure that the elected body is installed before the expiry of 5 (five) years term of the outgoing elected body. If there is need to undertake delimitation - which indeed is a continuous exercise to be undertaken by the concerned authority - it ought to be commenced well-in-advance to ensure that the elections of the concerned local body are notified in time so that the elected body would be able to take

over the reigns of its administration without any disruption and continuity of governance (thereby upholding the tenet of Government of the people, by the people and for the people). In other words, the amendment effected to the stated enactments cannot be reckoned as a legitimate ground for protracting the issue of election programme of the concerned local bodies.

12. Therefore, we direct the State Election Commission by way of interim order, to issue election programme without any further delay on the basis of the wards as per the delimitation done in the concerned local bodies when the elections had become due consequent to expiry of 5 (five) years term of the outgoing elected body or before coming into force of the impugned Amendment Act(s) whichever is later. On that notional basis, the State Election Commission ought to proceed without any exception in respect of concerned local bodies where elections are due or likely to be due in the near future without waiting even for the compliance of triple test by the State Government for providing reservation to Other Backward Classes. We have no manner of doubt that only such direction would meet the ends of justice and larger public interests consistent with the constitutional mandate that the local self-government must be governed by the

duly elected representatives uninterrupted except in case of its dissolution before expiry of the term on permissible grounds.

13. For, until the triple test formality is completed "in all respects" by the State Government, no reservation for Other Backward Classes can be provisioned; and if that exercise cannot be completed before the issue of election programme by the State Election Commission, the seats (except reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is a constitutional requirement), the rest of the seats must be notified as for the General Category.

14. It was urged that population of OBC in some of the local bodies is more than 50% and for that reason, percentage indicated in the report submitted by the Commission is a conservative approach and needs to be taken forward. That cannot be the basis to disregard the constitutional mandate and need to observe triple test procedure indicated by this Court. The political parties who claim to be the protagonist of participation of OBC in the governance of local bodies, are free to nominate candidates belonging OBC category in the concerned to constituencies and even against all the General seats available after reserving for Schedule Castes and Schedule Tribes. We do

not wish to dilate any further on the plea under consideration.

15. We once again reiterate that the process of delimitation work and/or triple test compliance is a continuous, complex, time consuming and more so without any timeline (directly linked to the expiry of the term of the outgoing elected body). Whereas, the conduct of elections for installing newly elected body to take over the reins from the outgoing elected representative whose term had expired, is explicitly provided for by the Constitution and the relevant enactments. Therefore, the former need not detain the issue of election programme by the State Election Commission, in respect of local bodies as and when it becomes due much less overdue, including where the same is likely to become due in the near future.

16. Be it noted that as and when the delimitation exercise or triple test formality, as the case may be, is completed, the elections conducted thereafter may have to abide by such dispensation.

17. If the grounds pressed into service by the State authorities were to be accepted, it would be infeasible for any Election Commission - be it Madhya Pradesh State Election Commission - to notify the election programme well-in-time and to ensure that newly elected body is installed before the expiry of 5 (five) years

tenure of the outgoing elected body. That would defeat the constitutional mandate and go against the tenet of local selfgovernment by democratically elected representatives, uninterrupted.

18. To put it differently, completion of delimitation exercise or be it triple test formality, as the case may be, can wait if not completed well before the expiry of five years term of the outgoing elected body, including giving enough time to the Election Commission to complete the election process within such time. Thus, the declaration of election programme cannot be delayed by the Election Commission on that account. For, it would inevitably result in creating hiatus situation upon expiry of 5 (five) years term of outgoing elected body. Such an eventuality needs to be eschewed by all the duty holders. A *priori*, it is not only a constitutional obligation of the State Election Commission but also of the State Government including of the constitutional Courts.

19. In view of the above, we have no hesitation in directing the Madhya Pradesh State Election Commission to proceed on notional basis and issue election programme in respect of concerned local body by reckoning the delimitation/formation of

wards thereof as on the date when the election of the concerned local body had "in fact" become due or before coming into force of the (impugned) Amendment Act, which is under-challenge before this Court in the present proceedings, whichever is later.

20. The State election Commission must do so not later than two weeks from today. The State Government shall extend adequate logistical support to the State Election Commission for accomplishing the task in terms of this order.

21. During the course of the argument, our attention was drawn to the First Report dated 05.05.2022 prepared by the Backward Classes Commission constituted by the State Government, as the first step towards the triple test obligation as per the decision of this Court. However, we do not intend to examine the said report or comment upon it in the present proceedings.

22. Suffice it to note that mere preparation of the First Report by the stated Commission cannot be regarded as complete compliance of triple test requirement. In one sense, it is an inchoate situation and only a step towards final declaration by the State Government to provide specified just percentage of reservation for OBC category local body wise.

23. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General was at pains to

impress upon us that the First Report having been prepared by the Backward Classes Commission appointed by the State dated 05.05.2022, the State Government would now move into action and undertake the remaining steps to notify the seats to be reserved for Other Backward Classes in the concerned local bodies. *Prima facie*, going by the spirit of the judgment of this Court in *Vikas Kishanrao Gawali* (supra), even that exercise needs to be undertaken by the especially appointed Commission (dedicated) for that purpose. The report as presented to us has not engaged itself in that exercise which it ought to have done local body wise. Hence, this report in the present form will be of no avail.

24. In other words, the exercise of collation of empirical data and after analysis thereof, the Commission is expected to make recommendation regarding the number of seats to be reserved for Other Backward Classes "local body wise". Apparently, that exercise has not been undertaken by the Commission. The State Government can act upon only thereafter and as per the recommendations of the Commission - which is an independent body created to ensure that there is no over-breadth of such reservation in the "concerned local body".

25. Be it noted by all concerned that the nature and purpose of reservation in the context of local self-government is markedly different from that for higher education and public employment, as expounded by the Constitution Bench³ of this Court.

26. As aforesaid, the State Election Commission need not wait any further, but shall notify the election programme without any further delay in respect of local self-government whose election(s) had become due; and in the present case, as aforesaid, overdue in respect of 23,263 local bodies across the State of Madhya Pradesh, as of now.

27. Acceding to the argument set forth on behalf of the State of Madhya Pradesh would be over-looking and in fact a case of violation of the successive directions given by this Court to the State Election Commission to speed up the election process in respect of local bodies where elections are due/overdue and to proceed without providing reservation for Other Backward Classes (but limited to the constitutional reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) until the completion of triple test formality by the State "in all respects". As and when, the formalities of triple test are completed, that can be reckoned

³ K. Krishna Murthy (Dr.) & Ors. vs. Union of India & Anr., (2010) 7 SCC 202 [para 82(i)]

for future elections to be held thereafter. However, elections which are already due need not and cannot be delayed on that count in view of the constitutional mandate.

28. We were also informed by the learned counsel appearing for the Madhya Pradesh State Election Commission during the course of arguments that some writ petitions are pending before the High Court in which interim orders have been passed and that may come in the way of the State Election Commission to notify the election programme. In that regard, we make it clear and also direct that the State Election Commission must abide by the directions and observations in this order uninfluenced by any order of the High Court or the Civil Court on the subject of elections of the concerned local self-government, as the case may be. If any order passed or to be passed hereafter by the High Court or the Civil Court in the State of Madhya Pradesh, is in conflict with the directions given by this Court, the same shall be deemed to have been superseded in terms of this order and not to be acted upon without the prior permission of this Court.

29. As requested by Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General, we place on record that all steps taken by the State Election Commission and we may add even the State

Government, on the basis of the directions given in terms of this order will be subject to the outcome of these proceedings.

30. We once again make it clear that if delimitation is not done by the State Government in terms of Amendment Act(s) of 2022 or the triple test requirement is completed "in all respects" for providing reservation to OBC category, the State Election Commission shall give effect to this order also in respect of upcoming elections of local bodies which would/had become due by efflux of time.

31. We also make it clear that this order and directions given are not limited to the Madhya Pradesh State Election Commission/State of Madhya Pradesh; and Maharashtra State Election Commission/State of Maharashtra in terms of a similar order passed on 04.05.2022, but to all the States/Union Territories and the respective Election Commission to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate.

32. List this matter on 12.07.2022, to be heard along with SLP(C) No. 19756 of 2021.

33. The Madhya Pradesh State Election Commission to file compliance report in due course.

34. In case of any difficulty, liberty is granted to the Madhya Pradesh State Election Commission to apply before the returnable date so as to ensure that the election programme in respect of concerned local body is taken forward without any interruption.

.....J. (A.M. Khanwilkar)

.....J. (Abhay S. Oka)

.....J. (C.T. Ravikumar)

New Delhi; May 10, 2022. ITEM NO.301

COURT NO.3

SECTION X

SUPREME COURT OF INDIA RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 278/2022

SURESH MAHAJAN

Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF MADHYA PRADESH & ANR. Respondent(s) ([ONLY I.A NO. 74527/2022 IS LISTED AGAINST THIS MATTER] IA No. 74527/2022 - MODIFICATION OF COURT ORDER) Date : 18-05-2022 These matters were called on for hearing today. CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA HON'BLE MR. JUSTICE C.T. RAVIKUMAR For Petitioner(s) Mr. Gautam Awasthi, AOR Mr. Ayush Choudhary, Adv. Mr. Devanshu Yadav, Adv. Mr. Sameer Pandey, Adv. For Respondent(s) Mr. Tushar Mehta, S.G. Mr. K.M. Natraj, ASG Mr. Maninder Singh, Sr. Adv. Mr. Nikhil Jain, AOR Mr. Tushar Mehta, S.G. Mr. K.M. Natraj, ASG Mr. Prashant Singh, A.G. Mr. Saurabh Mishra, AAG Mr. Bharat Singh, AAG Mr. D.S. Parmar, AAG Ms. Mrinal Gopal Elker, AOR Mr. Harmeet Reprah, Adv. Mr. Siddharth Seth, Adv. Mr. Karthik Seth, Adv. M/S. Chambers Of Kartik Seth, AOR Mr. Nikhil Jain, AOR Mr. Varun Thakur, Adv. Mr. Shashank R., Adv. Mr. Brajesh Pandey, Adv.

Mr. Anilendra Pandey, AOR Ms. Vibha Datta Makhija, Sr. Adv. Mr. Shantanu Krishna, AOR Mr. Shashank Shukla, Adv. Mr. Shivam Pundhir, Adv. Mr. Karan Mamgain, Adv.

Mr. Shashank Ratnoo, Adv. (For Intervenor)

UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R $\,$

I.A NO. 74527/2022

We have heard learned counsel for the parties, including learned counsel for the intervenor.

This application is for modification of direction given in the interim order dated 10.05.2022, on the assertion that certain crucial facts including the subsequent events before the date of stated order were not brought to the notice of this Court.

It is urged that the delimitation exercise in the State of Madhya Pradesh had already been completed and so notified before 10.05.2022. In other words, it was not an on-going exercise of delimitation as such.

Further, the report of the dedicated Commission had been revised in light of the observations made by this Court. The Second (Revised) Report came to be submitted by the Commission incorporating all the requisite issues,

also giving break-up of reservation for Other Backward Classes category to be provided local body wise. This report has been submitted to the State Government on 12.05.2022.

According to the applicant(s), the report is a comprehensive report reckoning all the factors as required to be adhered to for complying with the triple test predicated in the decision of this Court in Vikas Kishanrao Gawali Vs. State of Maharashtra reported in (2021) 6 SCC 73.

To reassure ourselves, we have gone through the reports submitted by the dedicated Commission concerning the determination of proportion of reservation to be provided for Other Backward Classes local body wise across the State of Madhya Pradesh.

The Second Report has focused on the proportion of local body wise reservation, to be provisioned for Other Backward Classes while keeping in mind the maximum reservation limit of 50 per cent as enunciated by this Court in Vikas Kishanrao Gawali (Supra).

We may not be understood to have expressed final opinion either way on the validity and correctness of stated Reports. As and when challenge is set up to these

Reports that may have to be considered on its own merits and in accordance with law.

For the time being, we permit the Madhya Pradesh State Election Commission to notify the election programme for the respective local bodies keeping in mind the delimitation notifications already issued by the State Government as on this date, i.e., till today; and also the Reports submitted by the dedicated Commission, referred to above.

The State Election Commission shall ensure that the election programme is issued in respect of local bodies where elections are overdue without any loss of time keeping in mind the feasibility of conducting elections owing to impending monsoon and as observed in the case (SLP(C) No. 19756 of 2021) of State of Maharashtra yesterday i.e., 17.05.2022.

Despite issuing such election programme, it would be open to the Madhya Pradesh State Election Commission to modulate the schedule if and when occasion arises.

We also permit the State of Madhya Pradesh to notify the reservation pattern local body wise as delineated in the Reports of the dedicated Commission, to be adhered to by the State Election Commission. That be done within one

week from today. The State Election Commission shall issue election programme in respect of concerned local bodies thereafter within one week. The directions given in order dated 10.05.2022 stand modified to the above extent. We reiterate that steps taken by all concerned will be subject to the outcome of this petition as already noted in the earlier order.

This application is disposed of accordingly.

(DEEPAK SINGH) COURT MASTER (SH) (VIDYA NEGI) COURT MASTER (NSH)

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

(संशोधित अधिसूचना)

भोपाल,दिनांक———

yR-6(2)

अधिसूचना क.—–एफ 1—– / 2022 / 18–3–मध्यप्रदेश नगरपालिका(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार (नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद / नगर परिषद)^{*}––––––––जिला–––––– के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना कमांक –––––––दिनांक–––– के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये (नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद)^{*}——— जिला———— के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती हैः—

क.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का कमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड		
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड		
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड		
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से	a.	
	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	****** *	
5.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से		
	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50	* & L Q	
100	प्रतिशत आरक्षित वार्ड.		A set a s
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य		
	पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत		an a
2.76	आरक्षित वार्ड.		
7.	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त		
49.5	सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार

(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग

नोट- (नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद) में सही नाम अंकित करें अन्य हटा दें।

Urban Development and Housing Department Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal

(Revised Notification)

Bhopal, Date

In compliance of the order of Hor'ble Supreme Court in WP(Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of words of Nagar...... Dist...... is published as under:-

No.	Reserved ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved wards Name and Number		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	No. of wards Reserved For Schedule Caste	т., т. т., ж.			
2	No. of wards Reserved For Schedule Tribe				
3	No. of wards Reserved For other Backward Classes				
4	No. of wards Reserved For Schedule Caste's (Women)				
5	No. of wards Reserved For Schedule Tribe (Women)				
6	No. of wards Reserved For other Backward Classes(Women)				
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) Women				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

(Dr. Shubhashish Banerjee) Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department

UR-6 (4)

मध्यप्रदेश नगर पालिक/नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के अनुसा कार्यवाही के संबंध में

प्रपत्र - एक

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार वार्डवार जनसंख्या का पत्रक

- (अ) निकाय का नाम :--
- (ब) वर्ष 201 की जनगणना अनुसार निकाय की कुल जनसंख्या :--
- (स) निकाय के लिए निर्धारित वार्ड की संख्या :--
- (द) जनगणना 2011 के अनुसार वार्ड की औसत जनसंख्या :--
- (य) वार्ड की औसत जनसंख्या से 15 प्रतिशत अधिक जनसंख्या :--
- (फ) वार्ड की औसत जनसंख्या से 15 प्रतिशत कम जनसंख्या :--

वार्ड —-	वार्ड का	वार्ड की	औसत	वार्ड में श	अनुसूचित	वार्ड में अ	अनुसूचित	रिमार्क
कं.	नाम	कुल	जनसंख्या से	জ		जन		
8 1		जनसंख्या	अंतर का	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	
2 i - A	1.84		प्रतिशत (+/-)		and the second sec	oki 📲		с. С
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a " jua" ka j							
योग		12%						
	State of the state of the	- Heren Barris gas			성 전 양성 - 10		2 au	an h

हस्ताक्षर	eren yak i
कलेक्टर	
जिला	



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016 00

Email:- shakha2@mpurban.gov.in Website: www.mpurban.gov.in

//आदेश//

क्रमांक / शाखा–2 / निर्वाचन / 2022 / 9276

भोपाल, दिनांक 20.05.2022

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन माह जून 2022 में होना संभावित है इस हेतु नगरीय निकायों के आरक्षण की कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा की जाकर प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जायेगें।

जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित आरक्षण प्रस्ताव/अधिसूचना प्रारूप का परीक्षण हेतु निम्नानूसार दल गठित किया जाता हैः–

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं	संभाग का का नाम	
		एवं पदनाम		का नाम	
1	श्री परमेश जलोटे संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग मो. 9424412739	श्री चन्द्रशेखर बरखने सहायक ग्रेड–3	9893320943		
	श्री दीपक चौहान उपयंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.,भोपाल मो. 9589363881	श्री महेन्द्र बघेल कंम्प्यूटर ऑपरेटर	8770424478	जबलपुर	
2	श्री मनोज श्रीवास्तव सहायक संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र. मो. 9752702235	श्री सुनील सनोडिया सहायक ग्रेड–3	9907767393	ग्वालियर	
	श्री सुधीर गर्ग उपयंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.,भोपाल मो. 9425846930	श्री राम बागडी कम्प्यूटर ऑपरेटर	9826416465	एवं चंबल संभाग	
3	श्री रणवीर सिंह उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मो. 9131678511	श्री अरूण कुमार जोशी सहायक ग्रेड–2	9826027235	भोपाल एवं	
	श्री निखिल सिंह सहायक यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र. ,भोपाल मो. 9713483461	श्री अजहर कम्प्यूटर ऑपरेटर	9893255295	नर्मदापुरम संभाग	
4	श्री ओ. पी. झॉ उपंचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मो. 9907282325	श्री मुकेश भारती सहायक ग्रेड–3	9039234115	सागर संभाग	
	श्री जेके जैन	श्री अनुराग सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर			

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016 00

Email:- shakha2@mpurban.gov.in Website: www.mpurban.gov.in

	क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	मोबाईल नं	संमाग का का नाम
		उपयंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र,भोपाल मो. 9425012900			
	5	श्री सूर्य कुमार सिन्हा संभागीय संयुक्त संचालक, उज्जैन संभाग मो. 9425103030	श्री नगेन्द्र प्रसाद मांझी सहायक ग्रेड–3	7898205550	उज्जैन
		श्री सौरभ द्विवेदी उपंयंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.,भोपाल मो. 8827666184	श्री दिनेश पालीवाल कम्प्यूटर ऑपरेटर	9399420030	संभाग
	x -	श्री फरीद कुरैशी उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास नो. 9424499955	श्री संजय प्रजापति सहायक ग्रेड–3	9009563632	रीवा एवं शहडोल
	ਚ ਸ	भी सुनील श्रीवास्तव उपयंत्री, संचालनालय, नगरीय शासन एवं विकास,म.प्र.,भोपाल ो. 9425137898	श्री शेर सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर		संभाग
7	ਚਾ	ो योगेन्द्र पटेल, पायुक्त न. नि. भोपाल . 9425391819	श्री राम सिंह रायपुरिया सहायक ग्रेड–3	9993779008	नंगीन
	सह नग भोप मो.	कमलेन्द्र गौतम हायक यंत्री, संचालनालय, रीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र. 11ल 9067026632	श्री अरूण कुमार राय कम्प्यूटर ऑपरेटर	8103979917	इंदौर संभाग

उपरोक्त दल कलेक्टरों से प्राप्त आरक्षण प्रस्तावों का मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए) वार्डो का आरक्षण 1994 के तहत परीक्षण किया जाकर तत्काल विभाग को प्रेषित करेंगें। जिससे इनका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असााधारण) में तय समय—सीमा में हो सके। दल को एक दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

उपरोक्त दल परिक्षणोपरांत अपने अभिमत के साथ नस्ती अपर आयुक्त, श्री सतेन्द्र सिंह को प्रस्तुत करेंगें।

> سلہۃ ہار۔ (निकुंज कुमार श्रीवास्तव) ओ.एस.डी सह आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016 00

Email:- shakha2@mpurban.gov.in Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / शाखा—2 / निर्वाचन / 2022 / 9277

भोपाल, दिनांक 20.05.2022

प्रतिलिपिः–

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 2. अपर संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।
- 3. निज सहायक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर पालनार्थ/सूचनार्थ।

Muhinz

ओ.एस.डी सह आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.